अनुसूची 21—फार्म सं० 113

# संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

1213

प्रमाण-पत्र संख्या ..... 19..... आवेदन सं० 3394 dt 18/3/2020

श्री/श्रीमती Prem Nandan thakur s/o late Mahabir thakur & others

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संख्यवहारों और अवभारों का संक्षिप्त प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिकाओं में रु० 200 $ to till dt से रु० ..... 19..... तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला: As per index II है अर्थात्: संपत्ति अवभार से मुक्त है/

| क्र० सं० | (क) संपत्ति का विवरण | निष्पादन की तारीख | (ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य | पक्षों के नाम | | दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | निष्पादक | दावेदार | जिल्द | पृष्ठ | सं० |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | maura- Dhanaut<br>Khata No - 14 & 233<br>Sub Plot No - 164<br>Society Plot No - 9 (Part)<br>Thana No - 20<br>Tauzi No - 5139 & 5554<br>Plot Area - 7468 sqft. | | | | | | | |

For NAMAN DEVELOPERS

Sanjay Singh

PARTNER

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। कमों को उनके क्रम में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर) V.D.C

(पदनाम)

तलासी का सत्यापन और प्रमाण पत्र अंचल निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: Danapur

तारीख: 18/3/2020

18/3/2020

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार कहे गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्बंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५० के अधीन जो व्यक्ति (पक्षकार) और अनुक्रमणिका (इन्डेक्स) की प्रतियाँ देखना चाहते हों अथवा उसकी प्रतियाँ लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस को भुगतान करने पर तलियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेंगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये जिम्मे ही तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूसरे संव्यवहारों और अवभारों की सृष्टि के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूसरे एवं अन्य संव्यवहारों और अवभारों की सृष्टि के लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा जो उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur 18/3/20

तलब संख्या 988 दिनांक

आवेदक श्री Prem Nandan Thakur S/o Late Mahabir Thakur

का ऋणभार प्रमाण-पत्र हेतु LIC Housing Finance Ltd. Patna

का उनके पत्र संख्या — दिनांक 17/3/2020 के प्रसंग में आवश्यक की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

SPL-469/99-2,00,000